न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—253 / 2025

प्रार्थीगणः—

1. गजेन्द्रराम पुत्र रूपदास
2. पारसदास पुत्र रूपदास
3. मालूदास पुत्र रिखबदास

जाति संत निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री गणपतसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 22.01.2026

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 103 व 104 रकबा क्रमशः 0.0009 व 2.8197 हैक्टेयर भूमि ग्राम मीठोडा तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थीगण के नाम ''गजदास पुत्र रूपदास'',''फरसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालदास पुत्र रिखबदास'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीगण के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी व जनआधार कार्ड में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम क्रमशः ''गजेन्द्रदास पुत्र रूपदास'', ''पारसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालूदास पुत्र रिखबदास'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। अतः प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीगण के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी व जनआधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण के वास्तविक नाम ''गजेन्द्रदास पुत्र रूपदास'', ''पारसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालूदास पुत्र रिखबदास'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 103 व 104 रकबा क्रमशः 0.0009 व 2.8197 हैक्टेयर भूमि ग्राम मीठोडा तहसील सिवाना में प्रार्थीगण के नाम ''गजदास पुत्र रूपदास'',''फरसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालदास पुत्र रिखवदास'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी व जनआधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थीगण के नाम ''गजेन्द्रदास पुत्र रूपदास'', ''पारसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालूदास पुत्र रिखबदास'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थीगण के नाम ''गजदास पुत्र रूपदास'',''फरसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालदास पुत्र रिखबदास'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के वास्तविक नाम ''गजेन्द्रदास पुत्र रूपदास'', ''पारसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालूदास पुत्र रिखबदास'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 103 व 104 रकबा क्रमशः 0.0009 व 2.8197 हैक्टेयर भूमि ग्राम मीठोडा तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के नाम ''गजदास पुत्र रूपदास'',''फरसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालदास पुत्र रिखबदास'' के स्थान पर ''गजेन्द्रदास उर्फ गजदास पुत्र रूपदास'', ''पारसदास उर्फ फरसदास पुत्र रूपदास'' व ''मालूदास उर्फ मालदास पुत्र रिखबदास'' दुरूस्त करने के आदेश दिये ज[illegible]सीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया [illegible] है।

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)